

(35)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2011/टीजी-1/10/ई-टिकटिंग फॉर डिसेबल्ड. पार्ट II
मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

नई दिल्ली, दिनांक 29.09.2017

प्रबंध निदेशक/क्रिस,
चाणक्यपुरी
नई दिल्ली.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी,
11वीं मंजिल, स्टेटसमैन हाउस,
बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 64)

विषय: विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग जनों) को फोटो पहचान-पत्र जारी करना।

संदर्भ: (i) 19.03.2015 को जारी 2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18
(ii) 29.06.2016 को जारी 2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 28

बोर्ड कार्यालय के ऊपर संदर्भित दिनांक 19.03.2015 और 29.06.2016 के पत्रों के तहत जारी अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए विस्तृत प्रक्रिया को निम्नानुसार संशोधन किया जाए:-

i 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा 4(ए) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:-

जहाँ-कहीं एआरएम कार्यालय मौजूद हैं उन्हें भी दिव्यांगजनों से फोटो पहचान-पत्र जारी करने हेतु अनुरोध-पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और वे इसे सत्यापन के लिए संबंधित मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय को अग्रेषित करेंगे। सत्यापन के पश्चात् ऐसे मामलों में सीनियर डीसीएम के हस्ताक्षर से जारी कार्ड वापस एआरएम कार्यालय को भेजा जाएगा और आवेदक संबंधित एआरएम कार्यालय से अपने कार्ड प्राप्त कर सकता है। आवेदक को कार्ड लेने

के लिए टेलीफोन पर सूचित किया जाएगा (आवेदक द्वारा फार्म पर सम्पर्क नम्बर का उल्लेख किया जाए)। दिव्यांगजन अथवा उसका कोई प्रतिनिधि उसकी ओर से मूल प्रमाण-पत्र दिखा कर इस कार्ड को प्राप्त कर सकता है।

ii 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा 10 पैरा के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क) पहचान-पत्र का गुम होना: पहचान-पत्र गुम हो जाने की स्थिति में, आवेदक को, स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि (समुचित प्राधिकार पत्र के साथ) अथवा डाक के माध्यम से एफआईआर की प्रति सहित कार्ड को पुनः जारी करने का अनुरोध-पत्र, पहचान का प्राधिकृत प्रमाण और दो पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ, उस कार्यालय में प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिस कार्यालय से उसे कार्ड जारी किया गया है। बहरहाल, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने रिकॉर्ड से सत्यापन किए जाने के बाद नया कार्ड जारी किया जाएगा।

ख) खराब/ कटे हुए/फटे हुए पहचान-पत्र: दिव्यांग व्यक्ति अथवा उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि (समुचित प्राधिकार पत्र के साथ), मंडल रेल प्रबंधक अथवा एआरएम कार्यालय से संपर्क कर अथवा डाक के माध्यम से पहचान के प्राधिकृत प्रमाण और दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफों सहित कार्ड को पुनः जारी करने के लिए अनुरोध-पत्र जिसमें पुनः जारी करने का कारण और वास्तविक रूप से खराब/फटे कार्ड का विवरण जैसे कि पहचान-पत्र का नं., नाम, कार्ड की वैधता, जारी करने की तारीख आदि, यदि उपलब्ध हो, का उल्लेख करते हुए आवेदन कर सकता है। चूंकि मूल कार्ड यथोचित सत्यापन के पश्चात् जारी किया गया है, इसलिए अस्पताल से दिव्यांगता का पुनः सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने रिकॉर्ड से सत्यापन किए जाने के बाद और नए कार्ड जारी करते समय खराब/फटे-पुराने कार्ड को वापस लौटाने के पश्चात् ही नया कार्ड जारी किया जाएगा।

संबंधित प्राधिकारी को नया कार्ड जारी करने से पूर्व वापस लौटाए गए कार्ड को निष्क्रिय करना होगा। कार्ड को निष्क्रिय करने के बाद नई बुकिंग करना तो संभव नहीं होगा परन्तु सिस्टम द्वारा कार्ड को निष्क्रिय किए जाने से पूर्व किए गए आरक्षण को रद्द करना अनुमेय होगा। कार्ड के पुनः जारी करने के लिए ₹ 150/- का जुर्माना लिया जाएगा। नए कार्ड की वैधता सरेण्डर किए गए कार्ड के समान होगी।

व्यक्तिगत लाभप्राप्तकर्ता द्वारा आवास बदलने पर ऊपर उल्लिखित दृष्टांतों के अनुसार नए पहचान-पत्र को पुनः जारी करने के लिए आवास के वर्तमान स्थान के मंडल कार्यालय को आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान स्थान का मंडल कार्ड निर्गत करने वाले मंडल से रिकॉर्ड प्राप्त करेगा।

आवेदक को नया कार्ड लेने के लिए टेलीफोन पर सूचित किया जाएगा (आवेदक द्वारा फॉर्म पर सम्पर्क नम्बर का उल्लेख किया जाए)। दिव्यांगजन अथवा उसका कोई प्रतिनिधि (समुचित प्राधिकार पत्र के साथ) उसकी ओर से मूल प्रमाण-पत्र दिखा कर इस कार्ड को प्राप्त कर सकता है।

- iii 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा 8 और 2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 28 के पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

फोटो पहचान-पत्र की वैधता, रियायत प्रमाण-पत्र के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

2. फोटो पहचान-पत्र को जारी/पुनः जारी करने के प्रयोजन के लिए पहचान, पता और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
3. क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है कि इस स्कीम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और इस कार्यालय को भी सूचित करें।


(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) का नि सतर्कता(टी), का नि वित्त (सी), निदेशक वित्त (सी), वि.का.अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
- 3) महाप्रबंधक/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।

(82)

- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनवाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

क) फोटो पहचान का प्रमाण-

- i. आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार कार्ड (ई-आधार)
- ii. पासपोर्ट
- iii. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड
- iv. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर पहचान-पत्र
- v. आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस
- vi. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।
- vii. राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासन, निगम निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।
- viii. मान्यताप्राप्त स्कूलों/कालेजों द्वारा अपने छात्रों को जारी किया गया फोटोग्राफ वाला पहचान-पत्र।
- ix. चालू बैंक खाते का पासबुक जिस पर फोटो लगा हो (केवल अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अधिसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
- x. बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड जिस पर लेमिनेटेड फोटो लगा हो
- xi. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
- xii. लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण-पत्र जिस पर फोटो लगा हो।

ख) जन्म तिथि का प्रमाण:-

- i. जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार अथवा नगर निगम अथवा किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी जिसे भारत में जन्मे किसी शिशु के पंजीकरण के लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, द्वारा जारी किया गया जन्मप्रमाण पत्र।
- ii. अंतिम विद्यालय/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्थानान्तरण/विद्यालय छोड़ने/मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र।
- iii. पासपोर्ट
- iv. आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार कार्ड (ई-आधार)
- v. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
- vi. वोटर पहचान पत्र
- vii. लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

- viii. अनाथालय/चाइल्ड केयर होम के प्रधान द्वारा जारी घोषणापत्र जिसमें उनके संगठन के लैटरहेड पर आवेदक की जन्म तिथि की पुष्टि की गई हो।

ग) पते से संबंधित साक्ष्य

- i पानी का बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)
- ii टेलीफोन का बिल (लैंडलाइन अथवा पोस्ट पेड मोबाइल बिल - जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)
- iii बिजली बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)
- iv संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष के अधिक पुराना न हो)
- v गैस कनेक्शन बिल (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)
- vi आधार कार्ड/डाउनलोड किया गया आधार कार्ड (ई-आधार)
- vii. पासपोर्ट/स्पाउज़ का पासपोर्ट/माता-पिता का पासपोर्ट (अवस्यकों के मामले में)
(बशर्ते कि आवेदक का वर्तमान पता तथा स्पाउज़/माता-पिता का पता एक ही हो)
- viii. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड
- ix. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर पहचान-पत्र
- x. आरटीओ द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस
- xi. चालू बैंक खाते की पासबुक जिस पर फोटो लगा हो (केवल अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अधिसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)
- xii. क्रेडिट कार्ड विवरण (जो 3 माह से अधिक पुराना न हो)
- xiii. डाकखाने की पासबुक/खाते का विवरण
- xiv. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
- xv. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।
- xvi. राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासन, निगम निकाय और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र जिस पर क्रमांक दर्ज हो।
- xvii. बैंक के लैटरहेड पर हस्ताक्षर किया हुआ पत्र जिस पर फोटो लगा हो/ पंजीकृत कम्पनी के नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र/ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित पत्र
- xviii. आयकर आकलन आदेश
- xix. पंजीकृत किराया करार
- xx. लैटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आवास का प्रमाण-पत्र
- xxi. ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आवास का प्रमाण-पत्र

1762

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टीजी-1/10/ई-टिकटिंग फॉर डिसेबल्ड पार्ट II नई दिल्ली, दिनांक 29.06.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

प्रबंध निदेशक/क्रिस,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी,
11वां तल, स्टैंड्समैन हाउस,
बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 28)

विषय: रेलवे द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र का उपयोग करके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन टिकट प्रणाली के साथ-साथ रियायत आधारित टिकट प्रणाली।

संदर्भ: दिनांक 19.03.2015 का 2015 को जारी वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18.

ऊपर संदर्भाधीन बोर्ड के दिनांक 19.03.2015 के पत्र के तहत जारी अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, आईआरसीटीसी के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अर्थात् ओर्थोपेडिकली विकलांग/मूक एवं बधिर/मानसिक रूप से मंद/नेत्रहीन व्यक्तियों को रियायती ई-टिकट एवं काउन्टर टिकट जारी करने से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

i. पैरा-5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी अस्पताल/क्लीनिक/संस्थानों, द्वारा जारी रियायती प्रमाणपत्र के आधार पर फोटो पहचानपत्र जारी करने पर विचार किया जाएगा। बहरहाल, ऐसे मामलों में जिनमें आवेदक किसी नए स्थान पर चला गया हो और उसका रियायती प्रमाणपत्र उसके पिछले निवास स्थान के सरकारी अस्पताल

द्वारा जारी किया गया हो, आवेदक को वर्तमान निवास के मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय (मान लें ए) में आवेदन करने की अनुमति दी जाती है। इस परिस्थिति में, वह मंडल उस संबंधित मंडल/जोन (मान लें बी) जिसके क्षेत्राधिकार में वह सरकारी अस्पताल, जिसने रियायती प्रमाणपत्र जारी किया है, आता है, से उसका सत्यापन कराएगा। उसके बाद वह मंडल/जोन उस मंडल (ए) जिसने सत्यापन करने का अनुरोध किया है, को सत्यापन रिपोर्ट भेजेगा। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, मंडल 'ए' शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि (उपयुक्त प्राधिकार पत्र के साथ) को पहचानपत्र जारी करेगा। बहरहाल, कार्ड प्राप्त करते समय मूल प्रमाणपत्र (निवास प्रमाणपत्र जिसमें वर्तमान निवास दर्शाया गया हो) दिखाना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन का निपटान करने/पहचानपत्र जारी करने की समय-सीमा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो माह है।

ii. पैरा-8 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:-

कार्ड की वैधता उसे जारी करने की तारीख से पांच वर्ष तक या रियायती प्रमाणपत्र के वैध होने की अंतिम तारीख तक, जो भी पहले हो, होगी।

आईआरसीए कोचिंग टैरिफ सं. 26, वाल्यूम (II) के पैरा (I) के नियमों के अनुसार, निम्नलिखित कुछ मामलों में रियायती प्रमाणपत्र की वैधता पांच वर्ष से ज्यादा तक होती है:-

- स्थायी विकलांगता की स्थिति में रियायती प्रमाणपत्र 26 वर्ष से 35 वर्ष के आयु समूह के लिए दस वर्ष के लिए वैध होता है।
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में, रियायती प्रमाणपत्र 35 वर्ष से अधिक आयु के संबंधित व्यक्ति के लिए संपूर्ण जीवन तक वैध होता है।

यद्यपि ऐसे मामलों जहां फोटो पहचान पत्र की वैधता समाप्त होने पर ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में मौजूदा रियायती प्रमाणपत्र की, उसके अभी भी वैध होने की स्थिति में पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, फोटो पहचानपत्र के नवीकरण से संबंधित 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18 के पैरा-11 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।

2. क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय को सूचित करते हुए यथाशीघ्र इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

VSH

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन

रेलवे बोर्ड